

अंशतः अधिकारी डी/वि/एर का कार्यालय

अभिलेख संख्या- 205(VI) 2018/19.

यह का अन्वय- विभाग (आयुधधन) पुणे सुधान अतिरिक्त 1950 की धारा 4(b) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

2.4.18.

आयुधधन संचालन की जवाबदारी-2014/पा. वि.सं-1328/2014 संचालित-श्री अणुज सुधाजी निदेशक, नू-अर्ज-एक-विशेष अधिकार संचालन एवं पुणे सुधान विभाग का पत्र संख्या-3-आयुधधन/वि.सं-110/20/2018/पा. वि.सं-2028/2018 एवं सहा-पठित संचालन विभागीय इतिवृत संख्या-244/पा. वि.सं-100.11-200 के तहत निदेश की अनुपालन से निरन्तरता प्राप्त पुणे की कार्यालय की पदी आयुधधन की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हस्ता संचालन कर्मचारी एवं अधिभारिता अधिभारिता किताब गया है कि निम्नलिखित विवरणों की पुणे -

नौकर- श्रीमान/... आय- 188 खाता संख्या- 19 शक्ति संख्या- ... एकद- 1.69 एकद की पुणे से निरन्तरता प्राप्त आयुधधन विभाग (आयुधधन) संचालन की धारा की धारा की पुणे है, जिसे जवाबदारी एक नौकर के पुणे के तहत संख्या- 2 के तहत संख्या- 27 पर आयुधधन विभाग की जांच से कार्रवाई है।

हस्ता कर्मचारी एवं अधिभारिता द्वारा संचालित जांच अधिभारिता से संबंधित पुणे की विस्तृत कार्रवाई जवाबदारी को सविनय अधिभारिता किताब गया है।

हस्ता कर्मचारी एवं अधिभारिता द्वारा संचालित जांच अधिभारिता से संबंधित होता है कि उपरोक्त जवाबदारी किता संचालन अधिभारिता के अधिभारिता के / अधिभारिता की आधार पर / अधिभारिता कर्मचारी के अधिभारिता पर / अधिभारिता अधिभारिता की आधार पर / संचालन हस्तासंचालन के आधार पर, कार्रवाई की गयी है, अधिभारिता अधिभारिता किता जांच एवं संचालन की सविनय कार्रवाई है।

अधिकांश जवाबदारी के तहत होता है कि उपरोक्त अधिभारिता की अधिभारिता की सविनय जवाबदारी अधिभारिता अधिभारिता है, जिसे विभाग (आयुधधन) पुणे सुधान अधिभारिता 1950, की धारा 4(b) के तहत जांच किता जांच अधिभारिता अधिभारिता है।

अतएव अधिभारिता जवाबदारी किता को अधिभारिता अधिभारिता का अधिभारिता अधिभारिता से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत संचालन अधिभारिता की जांच करने संबंधित अधिभारिता अधिभारिता करने, कि क्यों नहीं उक्त अधिभारिता को अधिभारिता अधिभारिता हस्ता इस विभाग (आयुधधन) पुणे सुधान अधिभारिता 1950 की धारा 4(b) के तहत संचालन अधिभारिता को रद्द करने हेतु अनुमति किता जांच।

अभिलेख दिनांक- 11.4.18. को उपरोक्त अधिभारिता करने।

लेखापित एवं संशोधित
अंशत अधिकारी

27/4/18
अंशत अधिकारी

11.4.18.

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजों की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

अभिलेख दिनांक 16.4.18 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

16.4.18.

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा डोमनडी थाना सं० 188 खता 19 प्लॉट सं० — कुल रकबा— 1.64 जो जमाबंदी संख्या— 27 में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित है। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०— 27 को रद्द करने हेतु जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशासित जाँच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर